न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या– 65 / 2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 210

अपीलार्थी:–

मोहनलाल पुत्र स्व. श्री घेवरराम जाति माली उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:–

01. केवलराम पुत्र श्री रावतराम
02. अणदाराम पुत्र श्री रावतराम
03. श्रीमती सुगना देवी पुत्री श्री रावतराम
04. इन्दा देवी पुत्री श्री रावतराम
05. लूणाराम पुत्र श्री भोमाराम
06. तिलाराम पुत्र श्री भोमाराम
07. हजारीसिंह पुत्र श्री भोमाराम
08. नवलाराम पुत्र श्री भोमाराम
09. पुष्पा पत्नी श्री शंभूराम
10. नरपत पुत्र श्री शंभूराम
11. दिनेश पुत्र श्री शंभूराम

जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण: –

12. कानाराम पुत्र श्री घेवरराम
13. मानाराम पुत्र श्री घेवरराम
14. सोहनलाल पुत्र श्री घेवरराम
15. पारसमल पुत्र श्री घेवरराम
16. शैतानसिंह पुत्र श्री घेवरराम
17. हीरादेवी पुत्री श्री घेवरराम
18. सायरी देवी पुत्री श्री घेवरराम
19. कमला देवी पुत्री श्री घेवरराम
20. कुनकी पत्नी श्री भंवरलाल

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

21. सुमेरसिंह पुत्र श्री भंवरलाल
22. पुखराज पुत्र श्री भंवरलाल
23. जगदीश पुत्र श्री भंवरलाल
24. सीता देवी पुत्री श्री भंवरलाल

    जातियान माली, निवासीमण– ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
25. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
26. ग्राम पंचायत सालावास, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर जरिये ग्राम सचिव।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध बंटवाडा आदेश, जो ग्राम पंचायत सालावास के द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के आदिनांक का पारित किया, तत्पश्चात् उक्त बंटवाड़ा आदेश के जरिये नामान्तरकरण संख्या 245 स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा अमल दरामद किया गया।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (अपीलार्थी की ओर से)
02. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार (प्रत्यर्थी सं. 1, 2, 7 व 8 की ओर से)
03. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश (प्रत्यर्थी सं. 12 से 19 की ओर से अनुपस्थित)
04. शेष प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 29.05.2026**

01. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत सालावास, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 24.03.72 व बंटवाड़ा आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 14.03.73 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।
02. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार लूणी/ग्राम पंचायत सालावास से रिकार्ड मंगवाया गया। ग्राम पंचायत सालावास ने सूचित किया कि विवाद ग्रस्त बंटवारे से संबंधित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत सालावास में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार लूणी ने नामान्तरकरण संख्या 245 की मूल परत पेश की तथा सूचित किया की बंटवारे का रिकार्ड तहसील कार्यालय लूणी में उपलब्ध नही है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण संख्या 1, 2, 7, 8 की ओर से श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थीगण संख्या 12 से 19 तक की ओर से श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 3, 4, 6, 11 एवं 23 ने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए नोटिस को लेने से इन्कार किया तथा मूल सीलबद्ध लिफाफे पर पोस्टमेन के पृष्ठांकन लेने से इंकार के साथ प्राप्त हुए है। प्रत्यर्थी संख्या 5, 9, 10, 20, 21, 22, 24 पर नोटिस तामिल होने के बावजूद गैर हाजिर रहे है। अतः उक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाते है।

03. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि–

(3.1)–ग्राम सालावास के ख.न. 111, 111/1, 852/111, 7, 10, 5 एवं 6 कुल खसरा–7, कुल रकबा– 119 बीघा–4 विस्बा भूमि, अपीलांट्स एवं रेस्पोन्डेन्स के पूर्व पूरूष मंगो (मंगाराम) पुत्र दुर्गाराम के नाम खातेदारी व कब्जाकाश्त की मिसल बंदोबस्त तथा जमाबंदी संवत् 2014–2017 में दर्ज हुई है।

(3.2)–मंगाराम के फौत होने पर उक्त भूमि, उनके तीन पुत्र घेवरराम, भोमाराम व रावतराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 45 से जमाबंदी संवत् 2027 में दर्ज हुई। घेवरराम, अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 से 24 तक के पिता/दादा/ससुर है। भोमाराम व रावतराम– रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 से 11 तक के पिता/दादा/पति व ससुर है।

(3.3)–इसी प्रकार खसरा नम्बर 8 व 9 की भूमि घेवरराम व भोमाराम के नाम स्वअर्जित भूमि वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज है। अर्थात् इस भूमि में रावतराम का नाम नही था।

(3.4)– रावतराम ग्राम पंचायत सालावास के सरपंच थे। रावतराम ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए– उक्त पद 3.1 में वर्णित कुल 119–04 बीघा भूमि तथा पद 3.3 में वर्णित खसरा न. 8 व 9 की भूमियो का सम्मिलित करके सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा ग्राम पंचायत से करवा लिया तथा नामान्तरकरण भी स्वयं रावतराम ने सरपंच की हेसियत से स्वीकार कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत को पैतृक भूमि का बंटवारा करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नही था तथा रावत राम स्वयं हितबद्ध व्यक्ति था। पैतृक सम्पति का बंटवारा करने का अधिकार सिर्फ तहसीलदार को ही है। उक्त गलत बंटवारा के आधार पर रिकार्ड में किया गया अमल दरामद कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 245 के कॉलम संख्या 14 में ''बंटवाड़ा आपसी रजाबंदी के आधार पर आदेश तहसील जोधपुर दिनांक 24.03.1972 के अनुसार भरा गया'' अंकित है। जबकि तहसीलदार जोधपुर द्वारा ऐसे बंटवाडे का कोई आदेश पारित ही नही किया है तथा न ही नामान्तरकरण बाबत आदेश पारित किया है। उक्त नामान्तरकरण के साथ मात्र विवादित बंटवारा संलग्न है, जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी व उसके भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12, 13, 14 व माता नर्बदा का हस्ताक्षर/अंगूठा पूर्णतया फर्जी व कूट–रचित है।

(3.5)– बंटवाड़ा में ख.न. 8 व 9 की भूमि को भी पैतृक भूमि के साथ गलत रूप से शामिल की गई है तथा अपीलार्थी व उसके भाईयों को बंटवारे में दी है, जबकि ख.न. 8 व 9 की भूमि कभी भी मंगाराम के नाम दर्ज नहीं रही है। ख.न. 8 व 9 की भूमि को मंगाराम की पैतृक भूमि में शामिल करने से अपीलांट को कम भूमि बंटवारे में दी गई थी, जबकि मंगाराम की भूमि में घेवरराम व भोमाराम का 1/3 व 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार, रावत राम ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, विना क्षैत्राधिकार के बंटवारा करके, नामान्तरकरण को स्वीकृत किया है, जो निरस्त योग्य है।

(3.6)– उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.10.2020 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 एवं 2 द्वारा विवादित भूमि खाली करने की धमकी देने पर रिकार्ड की जांच करने पर हुई। रावत राम के नाम 90 बीघा, भोमाराम के नाम 96–05 बीघा तथा घेवरराम के नाम 49 बीघा भूमि आंवटित की गई है जो समान रूप से नहीं है, जबकि मंगाराम की 119–04 बीघा में घेवरराम का 1/3 हिस्सा बनता है। दिनांक 19.10.2020 को प्रथम जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत बंटवाड़ा व नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी की पैतृक भूमि का सभी सहखातेदारों के मध्य नियमानुसार बंटवाड़ा किया जावे तथा रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

04. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

05. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दौहराते हुए कथन किया कि वस्तुतः बंटवाड़ा हुआ ही नहीं है। बंटवाड़ा का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। बिना आदेश के ही म्यूटेशन दर्ज किया गया है। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर आवेदन तहसीलदार के नाम लिखा है

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जिसकी फोटोकापी पेश की गई है। तहसीलदार लूणी ने भी इस न्यायालय को सूचित किया है कि तहसील में विवादग्रस्त बंटवाड़ा का कोई आदेश उपलब्ध ही नहीं है फिर भी नामान्तरकरण संख्या 245 दर्ज किया गया है जो अवैध है। अपीलांट–मोहनलाल का चाचा, रावतराम, उस समय ग्राम पंचायत सालावास का सरपंच था। रावतराम ने अपने ही पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 245 को पारित किया है जो विधिविरूद्व व क्षेत्राधिकार से परे था। रावतराम स्वयं हितबद्व व्यक्ति था। मंगाराम के नाम दर्ज खसरा नम्बर 111, 111/1, 852/111, 07, 10, 5 एवं 6 कुल 7 खसरों की 119–04 बीघा भूमि में से घेवरराम का 1/3 हिस्सा बनता है, परन्तु घेवरारम को उक्त विवरण की पैतृक सम्पति में से कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। विवादग्रस्त बंटवाडा दिनांक 24.03.1972 का है। अपीलांट के पिता घेवरराम की सन् 1966 में मृत्यु हो चुकी थी। अपीलांट उस समय नाबालिग था। बंटवारे की जानकारी दिनांक 19.10.2020 को होने पर नकले लेकर अपील पेश की है तथा देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः मेरिट पर अपील को स्वीकार किया जावे। खसरा नम्बर 8 व 9 की भूमि घेवरराम व भोमाराम द्वारा क्रय की गई स्वअर्जित भूमि है, जिसे पैतृक भूमि में शामिल करना गलत है। मंगो बेटो दुर्गो– के नाम खसरा नम्बर 111, 111/1, 852/111, 07, 10, 5 एवं 6 की 119–04 बीघा भूमि में अपीलांट के पिता घेवरराम को भूमि आवंटित ही नहीं की है। अतः यह बंटवाडा गलत है। गैर कानूनी व अन्यायपूर्ण है। निरस्त किया जावे।

06. अपीलांट की उक्त बहस के कथनों एवं तर्को का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थीगण 1, 2, 7 व 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने कथन किया कि –

(i) सन् 1972 में आराजी का बंटवारा हो जाने के बाद अपीलांट के हिस्से में आई हुई आराजी रिको के लिए अवाप्त की गई है जिसका मुआवजा सन् 2016 में अपीलांट ने प्राप्त किया है अर्थात अपीलांट ने विवादग्रस्त बंटवारा को स्वीकार कर लिया है। अपीलांट अब भूमिहीन हो गया है, अतः बंटवारा को विवादस्पद बताकर उसे निरस्त करवाकर हमारी भूमि प्राप्त करना चाहता है।

(ii) इसके अतिरिक्त अपीलांट व उसके भाईयो के बीच दिनांक 3.11.1995 को सन् 1972 के बंटवारा में आवंटित भूमि का आपस में बंटवारा किया है।

(iii) इस प्रकार अपीलांट द्वारा बंटवारा को स्वीकार करके उस पर आगे बंटवारा करना व मुआवजा प्राप्त करने के कारण, अपीलांट अपने कृत्य से विबंधित (Estopped) है तथा अपने कृत्यों से अब पीछे नहीं हट सकता। यह तथ्य–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्वीकृत तथ्य है। सिर्फ अपीलांट ही 53 वर्ष पूर्व किए गए बंटवारें को आक्षेपित कर रहा है। अन्य किसी भी सहखातेदारों ने एतराज नहीं किया है।

(iv) अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर यह अपील पेश की है। अपील मीमों में सन् 1995 में किए गए आपसी बंटवारा व भूमि अवाप्त में प्राप्त मुआवजे का कोई जिक्र नहीं किया है। इसी प्रकार पूर्व में बंटवारा होने की जानकारी नहीं होने का कथन भी झूंठा है।

(v) वस्तुतः यह फेमिली सेटलमेन्ट था जिसे राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन के जरिए दर्ज किया गया है। अगर नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता है तो भूमि अवाप्ति में प्राप्त मुआवजा राशि कौन देगा? अतः अपील खारिज की जावे।

07. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर गहनता से विचार कर मनन किया।

08. अपीलांट मोहनलाल पुत्र घेवरराम ने यह अपील दिनांक 23.10.2020 को ग्राम सालावास के नामान्तरकरण संख्या 245 निांक 14.03.1973 को अपास्त करने हेतु एवं बंटवारा दिनांक 24.03.1972 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में 47 वर्षो की देरी से पेश की है। अपीलांट ने अपील मीमों में उक्त तिथियों का कहीं भी उल्लेख तक नहीं किया है परन्तु उक्त तिथियां मूल नामान्तरकरण संख्या 245 पर अंकित है। उक्त 47 वर्षो की अत्यधिक देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील का मेरिट पर परीक्षण करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र का परीक्षण करके निस्तारण करना आवश्यक है।

(8.1) प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को अपीलाधीन बंटवाडा व नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही मे तब हुई जब अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने यह एलानियां धमकी दी कि विवादित भूमि को खाली कर दो, क्यों कि राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज चली आ रही है। जवाब में अपीलांट ने भूमि का पैतृक होना बताया तथा उसमें 1/3 हिस्सा का बंट होने की बात कही तो प्रत्यर्थी ने कहा कि तुम्हारा एक इंच भी हिस्सा नहीं है। तुम्हारा हिस्सा दे दिया है। इस पर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्रांप्त करने हेतु आवेदन किया जो उसे दिनांक 19.10.2020 को प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 तक के पूर्व पुरूष रावतराम ने सरपंच ग्राम पंचायत सालावास के पद पर रहते हुए नियमों के विपरीत बंटवाड़ा व नामान्तरकरण

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्वीकृत किया है जिसमें अपीलांट के पिता घेवरराम की स्वअर्जित भूमि को भी मंगाराम से प्राप्त भूमि में शामिल करके बंटवारा किया है जिसमें रावतराम ने अपने नाम से 90 बीघा, भोमाराम को 98–05 बीघा तथा घेवरराम को केवल 49 बीघा भूमि ही आवंटित की गई है तथा बंटवारा समान रूप से नहीं हुआ है।

अतः प्रथम जानकारी की तिथि से अपील को अन्दर मियाद सुमार किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को क्षम्य किया जावे।

09. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 15.05.2026 को लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 245 की अपीलांट को प्रारंभ से जानकारी थी। विभाजन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। इस विभाजन आदेश के जरिए खसरा नम्बर 8 व 9 की सम्पूर्ण भूमि अकेले घेवरजी के वारिसान (अपीलांट व उसके भाईयों) के नाम रखी गई है। खसरा नम्बर 8 व 9 की 49–10 बीघा भूमि मूल रूप से भोमजी व घेवरजी की सामलाती हिस्से की थी, परन्तु विभाजन आदेश के जरिए दोनों पक्षों की सम्पूर्ण 49–10 बीघा भूमि घेवरजी के वारिसान को आवंटित की तथा भोमजी का नाम हटा दिया गया। इस बंटवाडे के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 245 में इन्द्राज बदले गए है।

इसी भूमि का अपीलार्थी व उसके भाईयों के बीच दिनांक 03.11.1995 को विभाजन हुआ है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1372 स्वीकार हुआ है व वर्ष 2016 में उक्त भूमि रीको (औधोगिक विभाग) के लिए अवाप्त की गई, जिसका मुआवजा अपीलांट व उसके भाईयों ने प्राप्त किया है तथा भूमि नामान्तरकरण संख्या 3612 के जरिए रीको के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 19.10.2020 को ही जानकारी होने के मिथ्या कथन किये है। जबकि बंटवारा आदेश की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही थी। विभाजन आदेश से किसी के भी हितो पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है। विभाजन आदेश से अपीलांट व उसके भाईयों ने वर्षो पूर्व लाभ उठाया है तथा अब मिथ्या कथनों के साथ रेस्पोडेन्टस को अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेला जा रहा है। प्रार्थना पत्र कतई सद्भाविक नहीं है बल्कि दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर पेश किया है। अपील 48 वर्ष के बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील को इसी बिन्दु पर खारिज की जावे। उक्तानुसार जवाब के समर्थन में प्रत्यर्थी अणदाराम ने तस्दीकसुदा शपथ पत्र भी पेश किया है। इसके अतिरिक्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

फार्म नम्बर 3 में राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 की फोटोप्रति, बंटवारा फार्म, जमाबंदी खसरा नम्बर 8 व 9, नामान्तरकरण संख्या 3612, बंटवारा आदेश दिनांक 03.11.1995, नामान्तरकरण संख्या 2034, 1915, 1528, 1893, 1894, 1798, 1372, 245 की फोटोप्रतियां भी पेश की है।

10. (A)उक्त पैरा संख्या 8 अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं तर्को में अपीलांट ने कथन किया है कि विवादग्रस्त बंटवारा आदेश दिनांक 24.03.1972 व उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 245 की उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.10.2020 को आक्षेपित आदेशो की नकले प्राप्त होने पर हुई है। यह नकले, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अभी हाल में दी गई धमकियों के बाद नकले ली गई। उक्त कारण के अतिरिक्त अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी का कोई कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलांट स्वयं द्वारा तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से तहसीलदार जोधपुर के नाम का प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की है जो पटवारी सालावास द्वारा दिनांक 06.11.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी की गई है।

(B) प्रार्थना पत्र के संलग्न– ''रजाबंदी बंटवाडा'' की प्रति संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी का विभाजन इस प्रकार अंकित किया गया है–

(1) भवंरलाल, कानाराम, मानाराम, सोहनलाल, मोहनलाल, पारसमल, शैतानराम पिता गेवरराम– कौम माली साकिन देह खसरा नम्बर 8 रकबा 26–11 बीघा, खसरा नम्बर 9 रकबा 22–19 बीघा कुल खसरा 2 रकबा 49–10 बीघा।

(2) भोमाराम पुत्र मंगाराम– (a) खसरा नम्बर 111 रकबा 18–17 बीघा,
खसरा नम्बर 7 रकबा 23–05 बीघा,
खसरा नम्बर 6 रकबा 10–14 बीघा,
खसरा नम्बर 10 रकबा 13–05 बीघा,
.....
कुल खसरा संख्या 4 रकबा 66 बीघा

(b) खसरा नम्बर 118 रकबा 22–06 बीघा,
खसरा नम्बर 110/2 रकबा 7–00 बीघा,
.....
कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 29–06 बीघा

(3) रावताराम पुत्र मंगाराम –

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(a) खसरा नम्बर 7 रकबा 23–06 बीघा,
खसरा नम्बर 852/111 रकबा 9–09 बीघा,
खसरा नम्बर 111 रकबा 09–04 बीघा,
खसरा नम्बर 5 रकबा 10–19 बीघा,

.....

कुल खसरा संख्या 4 रकबा 52–18 बीघा

(b) खसरा नम्बर 117 रकबा 31–18 बीघा,
खसरा नम्बर 110/2 रकबा 7–00 बीघा,

.....

कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 38–14 बीघा,
कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 91–12 बीघा

खसरा नम्बर 111/1 रकबा 5 बिस्वा गै.मू.बेरा भोमाराम, रावताराम के शामिल है। उपरोक्त बंटवारा से हम सभी हस्ताक्षरकर्ता सहमत होकर हस्ताक्षर करते है। अतः रेवेन्यू रिकार्ड में उपरोक्त बंटवारा अनुसार अमल दरामद कराया जावे।

हस्ताक्षर– 1–भंवरलाल, कानाराम गहलोत, सोहनलाल, मानाराम, मोहनलाल गहलोत, अगुंठा–नरबदा,
2–रावतराम,
3–भोमाराम

उक्त हस्ताक्षरों/निशान के नीचे रावतराम, सरपंच ग्राम पंचायत सालावास के हस्ताक्षर है। परन्तु प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र पर कोई तारीख अंकित नहीं है तथा पारसमल व शैतानराम के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा न ही रकबा कमी–बेशी का आंवटन करने का कोई कारण दर्शाया है।

उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आराजी का अभिलेख में इन्द्राज इस प्रकार था–

खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर व रकबा
45	गेवर, भोमा, रावतराम पिता– मंगा (सेटलमेन्ट में मंगा पुत्र दुर्गा के नाम थी)	111, 111/1, 852/111, 7, 10, 5, 6 कुल खसरा संख्या 7 रकबा 119–04 बीघा
42	भंवरलाल, कानाराम, मानाराम,	खसरा नम्बर 8 रकबा 26–11 बीघा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

	सोहनलाल, मोहनलाल, पारसमल, शैतानराम, पिता गेवरराम, भोमा पुत्र मंगा	खसरा नम्बर 9 रकबा 22–16 बीघा, कुल रकबा 49–10 बीघा
162	भोमा व रावतराम पिता मंगा	खसरा नम्बर 118 रकबा 22–06 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 31–14 बीघा, खसरा नम्बर 110/2 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 68 बीघा

(C) उपरोक्त विवरणानुसार मंगाराम के नाम सिर्फ खाता संख्या 45 की 119–04 बीघा भूमि ही रिकार्ड मे दर्ज थी, जो मंगाराम की मृत्यु के बाद पुत्र घेवरराम, भोमाराम व रावतराम के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा (अर्थात लगभग 39–15 बीघा) होता है।

(D) वक्त बंटवारा खाता संख्या 42 की 49–10 बीघा भूमि घेवरराम के पुत्रों के नाम रखी है तथा भोमाराम का 1/2 हिस्सा घेवरराम को दे दिया। तब से खसरा संख्या 8 व 9 की भूमि– घेवरराम के पुत्रों के नाम दर्ज होती रही। भोमाराम द्वारा अपना 1/2 हिस्सा (24–15 बीघा) खसरा संख्या 8 व 9 में से छोड़ देने के बदले, भोमाराम को– खाता संख्या 45 की पैतृक सम्पति (खसरा संख्या 111, 111/1, 852/111, 7, 10, 5, 6 रकबा 119–04 बीघा) में 66 बीघा भूमि आंवटित की गई है, जबकि भोमाराम को 24–15 बीघा प्लस 39–15 बीघा अर्थात 64–10 बीघा भूमि आंवटित होनी चाहिए थी जो कि 01–10 बीघा अधिक है परन्तु यह नगण्य है। वक्त बंटवाडा मीट्स एवं बाउण्ड्स में ऐसा संभव है। घेवरराम को 15 बीघा भूमि आंवटित होनी चाहिए थी।

इसी प्रकार पैतृक सम्पति में रावतराम को 52 बीघा 18 बिस्वा भूमि आवंटित की है जबकि रावतराम को 119–04 बीघा में से 1/3 हिस्सा 39–15 बीघा भूमि आवंटित होनी थी, जो कि 52–18 माइनस 39–15 बीघा अर्थात 13 बीघा 03 बिस्वा अधिक भूमि है जिसका कोई औचित्य प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र में नहीं दर्शाया है। अगर उक्त 13 बीघा 03 बिस्वा व 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को 24–15 बीघा में जोड़ दिया जावे तो घेवरराम को 39–08 बीघा भूमि प्राप्त हो जाती तथा मंगाराम की पुस्तैनी भूमि में घेवरराम, रावतराम व भोमाराम को लगभग 39–15 बिस्वा भूमि बराबर आवंटित हो जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया है तथा इसका कोई कारण भी नहीं बताया है तथा असमान वितरण हुआ है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(E) अपीलांट्स ने यह भी कथन किया है कि रावतराम को 90 बीघा तथा भोमाराम को 96–05 बीघा भूमि आंवटित की गई है। उक्त कथन गलत व्याख्या पर आधारित है। वस्तुतः मंगाराम की 119–04 बीघा में से भोमाराम को 66 बीघा (जिसमें अपीलांट की 24–15 बीघा भूमि शामिल है) तथा रावतराम को 52– 18 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा उक्त खाता संख्या 162 की खसरा संख्या 118 व 117 की 68 बीघा भूमि जो भोमा व रावतराम के नाम दर्ज थी, का भी भोमाराम व रावतराम के मध्य बंटवारा किया गया है जिसमें अपीलांट या घेवरराम का नाम नहीं हैं। इस कारण से रावतराम व भोमाराम को अधिक आवंटन किया है।

(F) अपीलांट ने कथन किया है कि घेवरराम का सन् 1966 में देहान्त हो गया था तथा अपीलार्थी व उसके भाई नाबालिग थे। अपीलांट ने अपने नाम से जारी आधार कार्ड संख्या 792036595276 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें उसकी जन्मतिथि 04.06.1957 अंकित है। पैन नम्बर ABFPL7993M में भी मोहनलाल की जन्मतिथि 04.06.1957 अंकित है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1973 की अंकतालिका नामांक 125276 में मोहनलाल गेहलोत पुत्र घेवरराम गेहलोत की जन्मतिथि 04.06.1957 अंकित है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न रजाबंदी बंटवारा पर के अंतिम पृष्ठ पर मोहनलाल गेहलोत के अंग्रेजी में हस्ताक्षर है। उक्त बंटवारा–नामान्तरकरण संख्या 245 के कॉलम संख्या 14 में अंकित विवरण अनुसार दिनांक 24.03.1972 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज होना अंकित किया है। दिनांक 24.03.1972 को अपीलांट नाबालिग (minor) था तथा उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानानुसार भारत में एक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का) कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध करने के लिए अयोग्य है तथा धारा 11 अनुसार किसी नाबालिग के साथ किया गया कोई भी अनुबंध आरंभ से ही अमान्य (void-ab-initio) होता है और इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। (धारा–23)

ऐसे अमान्य अनुबंधो के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए नाबालिग पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तथा न ही उसका व्यक्तिगत दायित्व होता है। ऐसे अनुबंधों में ऐस्टोपल का भी अभाव रहता है तथा नाबालिग व्यस्क होने के बाद भी, वे नाबालिग रहते हुए हस्ताक्षरित अनुबंध में पूर्वव्यापी रूप से मान्य (Ratification) नहीं कर सकते। एक बिल्कुल नया अनुबंध बनाना पड़ेगा।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलांट का दिनांक 24.03.1972 को 18 वर्ष की आयु का होना साबित नहीं किया है। उक्त के अतिरिक्त सहमति पत्र पर अपीलांट के भाई परसराम व शैतानराम के भी हस्ताक्षर नहीं है तथा नाबालिगों की ओर से संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान करने का भी कोई अंकन रजाबंदी पत्र पर नहीं है। अतः रजाबंदी पत्र प्रारंभतः शून्य है।

(G) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार आपसी सहमति से आराजी का विभाजन जरिए ''बंटवारा इकरारनामा'' किया जा सकता है जिसे क्रियान्वित करने का अधिकार, क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार को दिया गया है। दिनांक 24.03.1972 को ग्राम सालावास तहसील जोधपुर में थी। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तक में कृषि भूमि का सहखातेदारों के मध्य विभाजन करने की प्रक्रिया दी गई है। उक्त सांविधिक प्रावधान में ग्राम पंचायत को कृषि भूमियों का सहखातेदारों के मध्य विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। विभाजन आदेश की पालना में नामान्तरकरण निर्णित करने की शक्तियां ग्राम पंचायतो को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत तत्समय जरूर दी हुई थी परन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जारी बंटवारा आदेश का हवाला देकर नामान्तरकरण दर्ज किया है तथा सरपंच रावतराम ने दिनांक 14.3.73 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि रावतराम स्वयं विवादग्रस्त बंटवारा में लाभार्थी एंव हितबद्व व्यक्ति था तथा उसने पक्षपातपूर्ण तरीके से पुश्तैनी भूमि 119–04 बीघा में 1/3 हिस्से (39–15 बीघा) के स्थान पर 52–18 बीघा अपने नाम आवंटित करके, अपने नाम दर्ज करवाली, जिसे किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। रावतराम को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 54 के तहत नामान्तरकरण प्रकरण, अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णित करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर जोधपुर को पेश करना चाहिए था परन्तु रावतराम ने स्वयं के प्रकरण में ही सरपंच की हैसियत से आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ''Nemo judex in causa Sua'' प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का स्तम्भ है। परन्तु रावतराम अपने ही मामले में न्यायाधीश बन गए।

(H)प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 का कथन है कि आक्षेपित बंटवारा की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(i) उसने दिनांक 3.11.1995 को खसरा नम्बर 8 व 9 की भूमि का बंटवारा अपने भाईयो के साथ किया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1372 दिनांक 6.11.1995 को स्वीकृत हुआ है। बंटवारा के बाद खसरा नम्बर 8 व 9 की भूमियां आगे से आगे अन्य खातेदरों ने हस्तान्तरित की है जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 1528, 1893, 1894 दर्ज हुए है।

(ii)इसी प्रकार खसरा नम्बर 8 , 9 व 9/2 की 31–06 बीघा भूमि रीको के लिए अवाप्त की गई है जिसका नामान्तरकरण संख्या 3612 दिनांक 28.04.2016 को स्वीकृत हुआ है तथा अवाप्त भूमि का मुआवजा भी अपीलांट व उसके भाईयों ने प्राप्त किया है। अतः अपील मियाद बाहर पेश होने से खारिज योग्य है। यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण के उक्त तर्क से सहमत नहीं है। उक्त समस्त संव्यवहार खसरा नम्बर 8 व 9 की भूमि से ही संबंधित है जो बंटवारा से पूर्व में ही घेवरराम व भोमाराम के नाम रिकार्ड में दर्ज थी तथा बंटवारा के बाद भी घेवरराम के वारिसान अपीलांट व उसके भाईयो के नाम दर्ज होती आ रही थी जिसमें रावतराम का कभी भी हक हिस्सा रिकार्ड अनुसार दर्ज नहीं रहा।

(I)इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त आराजी बंटवारा का आदेश कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित ही नहीं किया गया है एवं बिना सक्षम आदेश के नामान्तरकरण स्वीकार करने वाला सरपंच रावतराम, का विवादग्रस्त विषयवस्तु में प्रत्यक्षतः हित निहित था तथा उसे बंटवारा करने व नामान्तरकरण तस्दीक करने का न तो शक्तियां थी तथा न ही क्षेत्राधिकार था। कानून की नजर में नाबालिग द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य थी तथा शून्य आदेश की पालना में दर्ज समस्त इन्द्राजात भी अवैध एवं गैर कानूनी होने से शून्य है तथा पश्चातवर्ती समस्त संव्यवहार भी शून्य है। ऐसे शून्य आदेशो के तहत किसी व्यक्ति को अनूचित लाभ (Unjust enrichment अनुचित संवर्धन) करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SBCWP No. 5423/2017 (D/d 22-01-2026) Pani Devi and Ors. v/s Board of Revenue का पैरा संख्या 9 इस प्रकार है:–

"9–The Hon'ble Supreme Court in State of Orissa and Ors. Vs Brundaban Sharma and Ors 1995 Supp(3) SCC -249, wherein it has been held that a non-est order confers no title and can be questioned at any stage. The relevant paragraph is reproduced here:-

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"18. Under these Circumstances it cannot be said that the Board of Revenue excercised the power under section 38 B after an unreasonable lapse of time, though from the date of the grant of patta by the Tehsildar is of 27 years. It is true that from the date of alleged grant of patta 27 years did pass. But its authenticity and correctness was shrouded with suspicious features. The records of the Tehsildar were destroyed. Who is to get the benefit? Who was responsible for it? The reasons are not far to seek. They are self evident. So We held that the exercise of the rivisional power under section 38B by the Board of Revenue was legal and valid and it braked no delay, after it had come to the Board's knowledge. That apart as held by the Board of Revenue the order passed by the Tehsildar without confirmation by the Board of Revenue is non est. A non est order is a void order and it confers no title and its validity can be questioned or invalidity be set up in any proceeding or at any stage".

"10- The Hon'ble Supreme Court in Sushil Kumar Mehta vs Govind Ram Bohra (Dead) through his LRs, (1990)1 SCC 193, wherein the court exclusively explained the distinction between decrees passed by courts of competent jurisdiction and those rendered without inherent jurisdiction, and held that a decree of nullity does not operate as res judicata. The relevant paragraph is reproduced herein below:-

"26. Thus It is settled law that normally a decree passed by a court of competent jurisdiction, after adjudication on merits of the rights of the parties, operates as res-judicata in a subsequent suit or proceedings and binds the parties or the persons claiming right, title or interest from the parties. Its validity should be assailed only in an appeal or revision as the case may be, In Subsequent proceedings its validity cannot be questioned. A decree passed by a court without jurisdiction over the subject matter or on other grounds which goes to the root of its exercise or jurisdiction, lacks inherent jurisdiction. It is a coram non judice. A decree passed by such a court is a nullity and is non est. Its validity can be setup whenever it is sought to be enforced or is acted upon as a

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

foundation for a right, even at the stage of execution or in collateral strikes at the authority of the court to pass a decree which cannot be cured by consent or waiver of the party. If the court has the jurisdiction but there is defect in its exercise which does not go to the root of its authority, such a defect like pecuniary or territorial could be waired by the party. They could be corrected by way of appropriate plea at its inception or in appellate or rivisional forums, provided law permits. The doctrine of res judicata under section 11 CPC is founded on public policy..... Therefore doctrine of res judicata does not apply to a case of decree of nullity. If the court inherently lacks jurisdiction consent cannot confer jurisdiction. Where certain statutory rights in a welfare legislation are created, The doctrine of waiver also does not apply to a case of decree. Where the court inherently lacks jurisdiction.

"11- This Court observes that Sub Section 2 of section 19 of the Rajasthan Tenancy Act 1955 unequivocally rests the exclusive jurisdiction to declare and recognise accrual of khatedari rights and the consequential mutation of land solely in the Assistant Collector having jurisdiction, and consequently, any mutation affected by the Gram Panchayat is without authority of law and void ab initio.

12- This court finds no merit in the petitioners contention that the learned Board of Revenue in revision petition (Annexure- 7) and learned Additional Commissioner in second appeal (Annexure-5) erred in not adverting to the delay of 43 years in questioning the mutation entries. The mutation in question was affected by the Gram Panchayat in clear contravention of section 19 of the Act of 1955, which unequivocally vests exclusive jurisdiction to record mutation in the Assistant Collector. An act done by an authority lacking inherent jurisdiction is void ab initio and non est in the eye of the law. Consequently the bar of limitation has no application to such an action as void order can be challenged at any stage. In view of the settled principle laid down by the Hon'ble Supreme court the plea of delay raised on behalf of the petitioners is wholly misconceived and cannot be sustained".

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्तानुसार प्रतिपादित न्यायिक विनिश्चय के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत/सरपंच द्वारा किया गया कृषि भूमि का बंटवारा बिना क्षेत्राधिकार है तथा कानून की दृष्टि में शून्य व Non-est है जिसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षम्य किया जाना उचित है। मात्र मियाद के बिन्दु पर ab initio void and non-est आदेश को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। तथा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत होना सूमार की जाती है। अपील प्रकरण का मेरिट पर निर्णय किया जाना इस न्यायालय की सूविचारित राय मे न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रत्यर्थीगण के कथनों को अस्वीकार किया जाता है।

11. उपरोक्तानुसार विस्तृत रूप से किये गये तथ्यात्मक अभिलेखीय एवं विधिक परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलाधीन आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत व बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। विश्लेषण के तथ्यों की पुनरावृति करने का कोई औचित्य नहीं है। संक्षेप में यह निष्कर्षतः पाया गया है कि आराजी विभाजन का आदेश सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत सरपंच सालावास को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के तहत कृषि भूमि का सह–आसामियों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं था तथा अपीलांट भी दिनांक 24.03.1972 को नाबालिग था तथा उसके द्वारा की गई संविदा प्रारम्भतः शून्य है जिसे निष्पादित नहीं किया जा सकता। हालांकि अपीलांट अपने हस्ताक्षर होने से इंकार करता है। इसके अतिरिक्त विभाजन तस्दीक करने वाला व नामान्तरकरण स्वीकार करने वाला व्यक्ति (श्री रावतराम तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सालावास) स्वयं लाभार्थी एवं हितबद्व व्यक्ति था एवं निर्णय पारित करने मे उससे निष्पक्षता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती एवं उसने पूर्वाग्रह से ग्रसित (Biased) होकर नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो प्रारंभतः शून्य (void-ab-initio) एवं अस्तित्वहीन (Non-est) होने से अपास्त योग्य है। असमान वितरण से अपीलांट के साथ घोर अन्याय हुआ है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश

12. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम सालावास के नामान्तरकरण संख्या 245 पर ग्राम पंचायत सालावास द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 14.03.1973 को अपास्त किया जाता है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 245 के कॉलम संख्या 14 में अंकित तहसील जोधपुर द्वारा पारित आपसी सहमति से बंटवाडा आदेश दिनांक 24.03.1972 को भी अपास्त किया जाता है। पक्षकारान सक्षम न्यायालय से नियमित वाद के जरिए आराजी का विभाजन करवाने हेतु विधि अनुसार स्वतंत्र है।
13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी, जोधपुर को लौटाया जावे।
14. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते हैं।
15. पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तामिल व तक्मील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।